दैनिक भास्कर
DainikBhaskar.com

नकली बीज से खराब हुई नरमा की फसल, 1.25 लाख रुपये का नुकसान / नकली बीज से खराब हुई नरमा की फसल, 1.25 लाख रुपये का नुकसान

Tohana News - गांव इंदाछुई में एक किसान की नकली बीज से खराब हुई नरमे की फसल से उसे करीब सवा लाख रुपये का नुकसान हो गया। जिस पर उसने...

May 24, 2018, 03:00 AM IST

गांव इंदाछुई में एक किसान की नकली बीज से खराब हुई नरमे की फसल से उसे करीब सवा लाख रुपये का नुकसान हो गया। जिस पर उसने सदर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित किसान बसाऊ राम की शिकायत पर हिसार की एक फर्म के प्रोपराइटर हवा सिंह व दिलबाग के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस को दी शिकायत में बसाऊ राम ने बताया कि उसने 25 अप्रैल 2017 को उक्त फर्म से गांव में नरमे कपास का अलग अलग दो किस्मों का बीज खरीद किया था। जिसके लिए उसने 5900 रुपये अदा किए थे। इस पर कंपनी की ओर से उसे एडवांस कस्टमर प्रोफाइल स्लिप भी दी गई थी। इस बीज से उसने तीन एकड़ में बिजाई की थी। फसल खराब होने पर उसने इसकी शिकायत कृषि विभाग के एसडीओ को दी। उन्होंने निरीक्षण कर रिपोर्ट दे दी थी। चूंकि उक्त फर्म हिसार जिला से है इसलिए फतेहाबाद के उपकृषि निदेशक ने हिसार के गुण नियंत्रण निरीक्षक को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट मिलने पर गुण नियंत्रण निरीक्षक राजवीर सिंह के सामने हवा सिंह ने माना था कि उक्त बीज उनकी फर्म द्वारा बिक्री किया गया है तथा किसान को दी गई स्लिप भी उनकी है। बाद में वे अपनी बात से मुकर गए कि उसने वह बीज नहीं बेचा। जिससे उसे एक लाख 20 हजार रुपये का नुकसान हो गया। किसान ने बताया कि तीन एकड़ में से एक एकड़ भूमि जो उसने 35 हजार रुपये ठेके पर ली थी उसका भी नुकसान हो गया। उसने बताया कि इतने नुकसान की भरपाई करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाया जाए।

Source: https://www.bhaskar.com/news/latest-tohana-news-030003-1781176.html